भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

## खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्या 1428

5 दिसम्‍बर, 2011 के लिए प्रश्‍न

**सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु घटिया गेहूं और चावल**

1428. श्रीमती विप्लव ठाकुर:

 क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत घटिया गेहूं और चावल की आपूर्ति एवं वितरण संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों में खाद्यान्नों के स्टॉक में घटिया गेहूं और चावल मिला हुआ पाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या-क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

 उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)

(प्रो0 के0वी0 थॉमस)

**(क) और (ख):** बिहार और पश्‍चिम बंगाल की राज्‍य सरकारों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जारी खराब गुणवत्‍ता के खाद्यान्‍नों की आपूर्ति करने के बारे में दो शिकायतें प्राप्‍त हुई है। हिमाचल प्रदेश सरकार से कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है। मुख्‍य सचिव, खाद्य और उपभोक्‍ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार से मई, 2010 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आपूर्ति किए गए खराब गुणवत्‍ता के गेहूं के बारे में अध्‍यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम को एक शिकायत प्राप्‍त हुई थी। श्री श्‍याम रजक, खाद्य और उपभोक्‍ता संरक्षण मंत्री, बिहार सरकार से भी एक पत्र जनवरी, 2011 में बिहार में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खराब गुणवत्‍ता के खाद्यान्‍नों की आपूर्ति के बारे में प्राप्‍त हुआ था। भारतीय खाद्य निगम द्वारा शिकायतों की जांच की गई थी और यह पाया गया था कि डिपुओं में उचित औसत किस्‍म का स्‍टाक उपलबध था और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए यही स्‍टाक जारी किया गया था। भारतीय खाद्य निगम ने राज्‍य सरकार को अपनी रिपोर्ट पहले ही भेज दी है।

.......2..

- 2 -

 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन घटिया गुणवत्‍ता का चावल प्राप्‍त होने और वितरण किए जाने के बारे में मुख्‍य सचिव, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग तथा पश्‍चिम बंगाल सरकार से नवम्‍बर, 2011 के प्रथम सप्‍ताह में शिकायत प्राप्‍त हुई है। इस शिकायत की प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण जांच करने के लिए इसे अध्‍यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम को भेज दिया गया है।

**(ग) और (घ):**  भारतीय खाद्य निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ने ऐसी किसी घटना की सूचना नहीं दी है।

**(ङ)**: सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्यान्‍न आधारित और अन्‍य सभी कल्‍याण योजनाओं के लिए कीट जंतुबाधा से मुक्‍त केवल अच्‍छी गुणवत्‍ता के खाद्यान्‍न जारी करना सुनिश्‍चित करने के लिए राज्‍य सरकारों/भारतीय खाद्य निगम हेतु निम्‍नलिखित पद्धति विहित की गई है और समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए है:-

1. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण करने के लिए केवल खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के मानकों के अनुरूप तथा कीट जन्‍तुबाधा से मुक्‍त अच्‍छी गुणवत्‍ता के खाद्यान्‍न जारी किए जाने होते हैं।
2. भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से स्‍टाक का उठान करने से पूर्व राज्‍य सरकारों के प्रतिनिधियों को निरीक्षण करने हेतु पर्याप्‍त अवसर मुहैया कराए जाते हैं।
3. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जारी किए जाने वाले खाद्यान्‍नों के स्‍टाक में से भारतीय खाद्य निगम तथा राज्‍य खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्‍त रूप से खाद्यान्‍नों के नमूने लिए जाने होते हैं तथा सील बंद किए जाने होते हैं।
4. राज्‍य सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्‍नों की सुपुर्दगी लेने के लिए एक अधिकारी को तैनात किया जाना होता है, जिसका रैंक निरीक्षक से नीचे का नहीं होता है।
5. राज्‍य सरकार के अधिकारियों द्वारा खाद्यान्‍नों की गुणवत्‍ता की जांच के लिए नियमित रूप से निरीक्षण किए जाने होते हैं तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के गुणवत्‍ता नियंत्रण सैल के अधिकारियों द्वारा भी औचक जांच की जाती है।
6. यह सुनिश्‍चित करना संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का कर्त्‍तव्‍य है कि वितरण श्रृंखला में विभिन्‍न अवस्‍थाओं में ढुलाई तथा भंडारण के दौरान खाद्यान्‍न अपेक्षित गुणवत्‍ता विशिष्‍टियां बरकार रहे।
7. जिन राज्‍य सरकारों के यहां विकेन्द्रीकृत खरीद चल रही है उन्‍हें यह सुनिश्‍चित करना होता है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्‍य कल्‍याण योजनाओं के तहत जारी किए गए खाद्यान्‍नों की गुणवत्‍ता खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन अपेक्षित मानकों को पूरा करती है।

\*\*\*\*\*\*